भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, कुशल और लोकप्रिय राजनेता, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई! भगवान श्री गणेश से आपके लिए सुयशपूर्ण-सुदीर्घ जीवन और आरोग्यता की प्रार्थना है।
— योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

3 ने फांसी लगा दी जान

आलमबाग, सरोजनीनगर व चिनहट की घटना

लखनऊ (एसएनबी)। आलमबाग थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में किराये के मकान में रहने वाले मेडिकल के छात्र ने गुरुवार देर रात कमरे में लगे पंखे में चादर के सहारे फांसी लगा ली। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को फंदे से उतार कर इलाज के लिए नजदीकी लोकबंधु अस्पताल भेजा, जहां डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, चिनहट क्षेत्र में ठेकेदार व सरोजनीनगर क्षेत्र में राजमिस्त्री की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी।

मूलरूप से ललितपुर झांसी का रहने वाला 19 वर्षीय रिशव यादव पुत्र स्व. जगभान यादव आलमबाग के आदर्श नगर स्थित अजय अरोड़ा के मकान अपनी बहन पूजा यादव के साथ किराए पर रह कर ऐरा मेडिकल कालेज में रेडियोलॉजी तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। दो दिन पूर्व बहन पूजा मां के पास अपने पैतृक घर चली गई थी। गुरुवार रात रिशव यादव ने कमरे में लगे पंखे में चादर के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहन पूजा ने बताया कि भाई के मोबाइल पर कई बार फोन लगाया। फोन न उठने पर पड़ोसी को फोन किया तो पड़ोसी ने खिड़की से झांक कर देखा तो रिशव फंदे पर लटका हुआ था। भाई की मौत की जानकारी मिलते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से उतार कर इलाज के लिए नजदीकी लोकबंधु अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की छानबीन में मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक दो बहनो में अकेला भाई था, मृतक की मां गांव में ही रहती है, जबकि पिता की मौत पूर्व में ही हो चुकी है।

चिनहट क्षेत्र में भवन निर्माण की ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार अमित कुमार (3) पुत्र संता प्रसाद निवासी मटियारी चिनहट ने पंखे से दुपट्टे का फंदा डालकर फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनें ने उसे फंदे से उतारा और डश. राम मनोहर लोहिया हास्पिटल ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमित के परिवार में पत्नी व तीन बच्चे हैं।

सरोजनीनगर संवाददाता के अनुसार थाना क्षेत्र के हिंदू खेड़ा निवासी रामचंद्र धीमान अपनी पत्नी सुरेखा (35) और तीन बेटियों मुस्कान (13), अर्पिता (11) व प्रीति (10) के साथ रहकर राजगीर मिस्त्री का काम करता है। बताया जाता है कि रामचंद्र शुक्रवार सुबह काम पर चला गया था। दोपहर करीब 1 बजे सुरेखा ने उसे फोन करके बताया कि वह फांसी लगाने जा रही है। यह बात सुनते ही रामचंद्र के होश उड़ गए और उसने आनन-फानन पास में रहने वाले परिचित को इसकी जानकारी देते हुए उसे घर भेजा, लेकिन जब वह रामचंद्र के घर पहुंचा तो सुरेखा कमरे के अंदर पंखे के हुक से दुपट्टे के फंदे से लटकी मिली। इस दौरान उसकी तीनों बेटियां घर के बाहर खेल रही थी। बाद में घर पहुंचे रामचंद्र व अन्य लोगों की मदद से सुरेखा को फंदे से नीचे उतारकर लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतका की करीब 14 वर्ष पहले रामचंद्र के साथ शादी हुई थी। घटना की सूचना मायके पक्ष को दे दी गई है, जहां मृतका के भाई संदीप ने अपने बहनोई रामचंद्र पर आरोप लगाया कि वह आए दिन सुरेखा से रूपयों की मांग करता था। पुलिस का कहना है कि मृतका ने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। मायके पक्ष द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गैंगस्टर एक्ट में दो गिरफ्तार

लखनऊ (एसएनबी)। मड़ियांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपितों सुधीर सिंह व हेमन्त सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। गैंग का मुखिया शिवेन्द्र सिंह पहले से जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपित सुधीर सिंह चौहान पुत्र भरत सिंह निवासी 703 मोहल्ला बन्धु हार सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद उन्नाव प्रापर्टी डीलर है। वहीं हेमन्त सिंह पुत्र अतेन्द्र बहादुर सिंह मूलरूप से थाना अखण्ड नगर जनपद सुल्तानपुर, हालपता जानकी विहार कालोनी जानकीपुरम एक्सटेंशन थाना जानकीपुरम सुधीर के साथ प्रापर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस ने दोनों को पुरनिया पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है।

दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

मोहनलालगंज-लखनऊ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी को बीते बुधवार को बहला-फुसलाकर युवक ने ऑटो से अपने घर ले जाकर जबरन रेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित युवक रेप करने के बाद उसे डरा-धमकाकर घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की मां द्वारा दी गयी तहरीर पर पुलिस आरोपित के विरूद्ध रेप व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को बीते बुधवार देर रात बहला-फुसलाकर गांव में रहने वाला युवक अंशू ऑटो में बैठाकर अपने घर ले गया और रेप करने के बाद डरा धमकाकर बेटी को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। घर पहुंची बेटी को गुमसुम देखकर उससे पूछा तो युवक अंशू द्वारा घर ले जाकर रेप करने की बात बताई। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया पीड़िता के मां द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर आरोपित युवक पर रेप व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

दबंगों ने पीटा, घायल

मोहनलालगंज- लखनऊ। मोहनलालगंज क्षेत्र के अतरौली गांव निवासी मजनू ने बताया कि बीते गुरूवार की शाम वो गांव में स्थित अपने पुराने घर गया था, वहां पर छबीले व उसके बेटे दीपक, प्रदीप, अनुज उसके चाचा के बेटे रामू व सोनी की लाठी-डंडों से पिटाई कर रहे थे, जब उसने बीच-बचाव किया तो उसकी भी बुरी तरह पिटाई कर सिर फोड़कर लहुलूहान कर दिया। चीख-पुकार सुनकर भाई व पत्नी बचाने आयी तो उन्हे भी दबंगों ने पीटकर लहुलूहान कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपित मौके से भाग निकले। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपित पिता-पुत्रों के विरूद्ध मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

सड़क हादसों में बुजुर्ग समेत 2 की मौत

एक गम्भीर

लखनऊ (एसएनबी)। कृष्णनगर थाना क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन के नीचे शुक्रवार दोपहर कानपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम चालक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए डीसीएम सहित चालक को पकड़ कर मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम सहित चालक को कस्टडी में लेकर घायल बुजुर्ग की गंभीर हालत देखते हुए इलाज के लिए नजदीकी लोकबंधु अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुजुर्ग के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, नगराम क्षेत्र में मंगलवार को पिकप डाला की टक्कर से घायल दो बाइक सवारों में ईलाज के दौरान एक युवक की निजी अस्पताल में मौत हो गयी, जबकि साथी की हालत नाजुक बताई जा रही है।

कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन के नीचे शुक्रवार दोपहर कानपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मार कर भाग रहे डीसीएम चालक को लोगों ने पकड़ कर मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को डीसीएम समेत कस्टडी में लेकर घायल को उपचार के लिए नजदीकी लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कृष्णानगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक हरिकिशन ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान 65 वर्षीय कल्लू चौरसिया निवासी ग्राम रसूलपुर भटगांव बंथरा के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक चूने का कारोबार करता था और पान की दुकानों में चूना सप्लाई का काम करता था। शुक्रवार सुबह कल्लू दुकानों पर चूना देने साइकिल से निकले और कृष्णानगर मैट्रो स्टेशन के नीचे डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी कृष्णा, दो बेटे अजीत व संतोष समेत एक अविवाहित बेटी ज्योती है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में डीसीएम चालक ने अपना नाम बरता सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी पानीपत हरियाणा बताया है।

उधर, नगराम थानाध्यक्ष के अनुसार बीते बड़े मंगलवार 11 जून को बाराबंकी के सतरिख जाटा बरौली गांव निवासी चंद्रपाल (32) अपने साथी गोसाईंगंज अमेठी निवासी प्रवेश कुमार (35) के साथ एक ही बाइक संख्या (यू पी 32 ई ई1909) से नगराम के हरदोइया गांव से मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। दोपहर करीब एक बजे शारदा सहायक हैदरगढ़ शाखा नहर के मितौली पुल को पार करते समय नहर पटरी पर अचलीखेड़ा की तरफ से आ रही पिकप डाला की टक्कर से दोनों बाइक सवार छिंटक कर दूर जा गिरे। बाइक पर सवार दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। चालक पिकप डाला लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची नगराम पुलिस ने 108 एंबुलेंस से दोनों घायलों को सीएचसी गोसाईंगंज भेजा, जहां से डाक्टरों ने सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर परिजनों ने चंद्रपाल को गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल व प्रवेश कुमार को तेलीबाग स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गम्भीर रूप से घायल चंद्रपाल की बृहस्पतिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि साथी प्रवेश कुमार का इलाज चल रहा है। मृतक चंद्रपाल के पिता ने बताया कि चंद्रपाल मजदूरी करता था। उसकी शादी हो गई थी। उसके दो बेटे अभिषेक (7) विवेक (9) व बेटी चन्दा (4) है। मजदूर चंद्रपाल की मौत के बाद पत्नी बच्चों सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

वसूली को लेकर पुलिस व मौरंग कारोबारी का आडियो वायरल

सरोजनीनगर-लखनऊ (एसएनबी)। ट्रांसपोर्टनगर चौकी पुलिस और ट्रकों के जरिए मौरंग सप्लाई करने वाले के बीच लेनदेन का ऑडियो वायरल होने से शुक्रवार को पुलिस विभाग में हड़कंप गया। इस मामले में ट्रक संचालक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर ट्रांसपोर्टनगर पुलिस चौकी के वर्दी धारियों पर गंभीर आरोप लगाए है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में पारा के प्रगति विहार कालोनी में रहने वाले ओमजी तिवारी ने बताया है कि वह अपने ट्रकों के जरिए मौरंग की सप्लाई करता है। उसने लिखा है कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे वह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नौ नंबर पार्किंग, मौरंग मंडी स्थल पहुंचा, जहां उसके ट्रक मौरंग लेकर आए थे। उसका आरोप है कि उसी दौरान अचानक ट्रांसपोर्ट नगर चौकी से एक दरोगा व चार सिपाही वहां पहुंचे और बिना किसी कारण के सबके सामने उसे घसीटते हुए चौकी ले गए। आरोप लगाया की वर्दीधारियों ने चौकी में उसे जमीन पर लात मार कर बैठा दिया। जब पीड़ित ने कारण पूछा तो वर्दीधारियों ने अपशब्द कहते हुए धमकी दी कि अगर धंधा करना है तो एक लाख रुपये दो। पीड़ित का आरोप है कि बाद में वर्दीधारियों ने 50 हजार रुपये नगद लेकर उसे छोड़ दिया। साथ ही किसी से बताने पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी भी दी। वहीं वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि व्हाट्सएप कॉल करिए। इसके बाद कह रहा है कि यह रूपयों की बात मीडिया और इंस्पेक्टर साहब तक कैसे पहुंच गई। दूसरे ऑडियो में मौर्या नामक एक व्यक्ति कह रहा है कि चौकी पर आकर मिलो। तुम्हारे रुपए वापस करा देंगे। इस पर दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं मौरंग मंडी से लौटकर घर पर सो रहा हूं और कल मिलूंगा। रही बात रूपयों की तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं। इस मामले में सरोजनीनगर थाना प्रभारी का कहना है कि मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है और इसकी जांच कर अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

दोना-पत्तल लदे डाला में आग पटाखा फूटने से भगदड़

लखनऊ (एसएनबी)। काकोरी क्षेत्र में शुक्रवार रात दोना-पत्तल लदे डाला में अचानक आग लग गयी। आग के दौरान पटाखे फूटने लगे, जिससे क्षेत्र में भगदड़ मच गयी। इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

बरावनकलॉ काकोरी निवासी रामकिशोर गुप्ता का दो मंजिला मकान है, जिसके भूतल पर वह दोना-पत्तल का कारोबार है। रात करीब 10.30 बजे वह हाफ डाला पर सामान लदवा रहे थे, तभी अचानक डाला में आग लग गयी और पटाखा फूटने लगे, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गयी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। इस बीच आक्रोषित ग्रामीणों ने पुलिस से कहा कि ये बस्ती में दोना-पत्तल का काम तो कर रहे थे, लेकिन यह नहीं पता था कि इसकी आड़ में रामकिशोर पटाखा बेचने का भी धंधा कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने रामकिशोर के किलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आग बुझने के दो घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।

चाकू के साथ गिरफ्तार

जैदपुर-बाराबंकी। स्थानीय पुलिस ने थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार संदिग्ध ननकऊ निवासी ग्राम कटैया मजरे छंदवल थाना जैदपुर को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ननकऊ पर सम्बन्धित धारा अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

खुले में न करें कुर्बानी : एसीपी

मोहनलालगंज-लखनऊ (एसएनबी)। मोहनलालगंज कोतवाली में शुक्रवार को एसीपी राधा रमण सिंह व प्रभारी निरीक्षक आलोक राव ने बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाये जाने के लिये पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एसीपी ने शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रतिबंधित पशुओं व खुले में कुर्बानी न करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कोतवाली परिसर में आयोजित पीस कमेटी बैठक में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं के अलावा क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ बकरीद त्योहार को लेकर शासनादेश के बारे में बताया। एसीपी राधा रमण सिंह ने कहा कि कुर्बानी खुले में न करें और अवशेष गड्ढों में दफन करें। ध्यान रहे कोई भी व्यक्ति प्रतिबंध पशुओं की कुर्बानी न करें। एसीपी ने कहा कि बकरीद पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। इंस्पेक्टर आलोक राव ने कहा कि ध्यान रहे कुर्बानी करते समय रील न बनाएं, न ही सोशल मीडिया पर वायरल करें, यह अपराध है। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र के सभी संवेदनशील जगहों पर बकरीद पर्व को लेकर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्ती भी जारी रहेगी। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे में अधिकारियों ने अपील की कि कही भी कोई अफवाह फैले तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। बैठक में सभासद हिमांशु तिवारी, सभासद सोनू शर्मा, प्रदीप सिंह, प्रधान शंकर यादव, महेश गौतम, सभासद सुनील समेत दोनों समुदायों के संभ्रान्त लोग व धर्मगुरू मौजूद रहे।

पीजीआई अस्पताल परिसर के जंगल में भीषण आग

लखनऊ (एसएनबी)। पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबरेली रोड स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर स्थित जंगल में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जंगल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंची पीजीआई फायर स्टेशन की चार दमकलों के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर स्टेशन आफिसर मामचंद ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। जंगल में लगी आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। आग से किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137
पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, अम्बादीप बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 01–03–2024 को लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार, की कर्जदार/रों नामत: (1) **मैसर्स कार्तिकेय पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., इसके निदेशकों के माध्यम से (कर्जदार/बंधकदाता) ; तथा (2) श्री राज कुमार अग्रवाल (3) श्रीमती नीलम अग्रवाल (4) श्री ऋषभ अग्रवाल (गारंटर/बंधकदाता)** की तरफ **19–08–2021** तक बकाया राशि **रू. 41,54,14,808.11/– (रू. इकतालीस करोड़ चौवन लाख चौदह हजार आठ सौ आठ तथा पैसे ग्यारह मात्र)** भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक **19 जुलाई, 2024** को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार"** और **"जो कुछ भी है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि और नीलामी कार्यक्रम नीचे दिया गया है :

बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर) / धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आईएनआर)
श्री राज कुमार अग्रवाल/नीलम	सम्पत्ति के सभी अश एवं खड : श्री राज कुमार अग्रवाल द्वारा स्वाधिकृत आवासीय सम्पत्ति ए–3/7, विश्वास खंड, गोमती नगर, लखनऊ, जिसमें एक बेसमेंट सहित तीन तल है, परिमाप 540 वर्ग मीटर, वर्तमान और भावी स्ट्रक्चर्स जिसमें सभी वर्तमान और भावी अधिकारों, स्वत्वाधिकार, हित उपभोग, विशेषाधिकार, फिटिंग फिक्सचर्स, कनेक्शन्स तथा वहां पर स्थित कॉमन ड्राइव वे, लिफ्ट (यदि कोई), प्रवेश, रास्तों, जीना में और अन्य सामान्य सुविधाओं तथा सुख–सुविधाओं में अधिकार शामिल है। (उपरोक्त सम्पत्ति कर्जदार श्री राज कुमार अग्रवाल तथा श्रीमती नीलम अग्रवाल द्वारा प्राप्त की गई रू. 0.16 करोड, की एलएपी ऋण सुविधा हेतु क्रॉस कोलेटरल है।)	18–07–2024	19–07–2024 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे के बीच	रु. 5,89,64,000/– (रूपए पांच करोड़ नवासी लाख चौसठ हजार मात्र) रु. 58,96,400/– (रूपए अठ्ठावन लाख छियानवे हजार चार सौ मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 12–07–2024 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से **19–07–2024** को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क व्यक्ति **श्री धरणी कृष्णा– 99481–82222, ईमेल : andhra@c1india.com और support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नंबर 91–124 4302020/2021/2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.**
2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html पर जा सकते हैं।
3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
5. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर **18–07–2024** तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी vikram.sharma@kotak.com vkSj lakshika.chawla@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स कार्तिकेय पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में आवासीय संपत्ति के क्रय हेतु"** लिखना चाहिए।
6. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से **खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958,** में **18–07–2024 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक** जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी और मैं जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वत: निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली रुपये 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ानी होगी।
9. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
10. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25: (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75: उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।
11. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
14. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
16. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
17. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और बोलीदाता को प्रभावित करने के लिए अधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रक